न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, अम्बेडकरनगर
एस0एस0टी0 वाद संख्या 179/2018
सरकार बनाम गोपाल उर्फ राम गोपाल
थाना–जहांगीरगंज, जनपद– अम्बेडकर नगर

06.07.2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र 40ब पर वादिनी मुकदमा व प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 40ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी वादिनी मुकदमा है और चोटहिल है। दिनांक 11.06.2017 को समय करीब 11 बजे दिन में आबादी की जमीन की रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी के पति रामगनेश को लाठी–डण्डा से मारा तथा लोहे की राड से सिर पर मारा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आयी और वह घटना स्थल पर ही बेहोश होकर मरणासन्न हो गये। प्रार्थिनी के पति की चोटों का डॉक्टरी परीक्षण उसी दिन दिनांक 11.06.2027 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज में हुआ जिससे प्रार्थिनी के पति के शरीर पर कुल तीन चोटें पायी गई। चोट सं0 1 व 2 की गंभीरता को देखते हुये जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर संदर्भित किया गया, जहां चोट की गंभीरता (हेड इंजरी) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया, जहां प्रार्थिनी के पति रामगनेश किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के न्यूरो सर्जरी विभाग में लगभग एक सप्ताह तक जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे। उक्त मामले के विवेचक द्वारा दौरान विवेचना चोटहिल रामगनेश का किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के न्यूरो सर्जरी विभाग का चिकित्सीय प्रपत्र बतौर साक्ष्य संकलित नहीं किया गया जबकि केस डायरी में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उक्त मूल चिकित्सीय अभिलेख प्रार्थिनी के पति के पास पड़ा रह गया, जिसे प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र दाखिल कर रही है। चिकित्सीय प्रपत्र न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉ0 अवधेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 12.06.2017 को तैयार किया गया है। उक्त डॉ0 अवधेश कुमार यादव को साक्ष्य हेतु आहूत किया जाना न्यायोचित होगा, जिससे मामले का गुण–दोष के आधार पर न्याय–निर्णयन हो सके। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करके डॉ0 अवधेश कुमार यादव को साक्ष्य हेतु आहूत किये जाने की याचना की गई।

प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में कागज सं0 41ब किशोर न्याय बोर्ड अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.04.2024 की प्रमाणित छायाप्रति व न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉ0 अवधेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 12.06.2017 को तैयार चिकित्सीय प्रपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा आपत्ति कागज सं0 42ब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त वाद में मुकदमा वादिनी द्वारा आरोप–पत्र के साक्षी सुन्दर, अवनित कुमार, रामबेलास के अलावा सभी साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है। अभियोजन साक्ष्य के समय अभियोजन पक्ष को माननीय न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद कोई अन्य साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया और अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत धारा–313 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही पूर्ण की गयी। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया तथा सफाई साक्ष्य दिया गया, जिसके पूर्ण होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई है। उसके बाद वादिनी मुकदमा द्वारा बहस हेतु कई तिथियों पर मौका प्रार्थना पत्र दिया गया। पत्रावली में डॉ0 किरन कुमार शर्मा व डॉ. वाणी रेडियोलॉजिस्ट का साक्ष्य अंकित कराया गया है। केवल मुकदमें को लटकाने की गरज से व अभियुक्तगण को परेशान करने की नीयत से वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 सी.आर.पी.सी. की धारा–5 में कथन किया है कि चोटहिल रामगनेश किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के न्यूरो सर्जरी विभाग में एक सप्ताह तक जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे बिल्कुल गलत है जबकि वास्वविकता यह है कि ओ0पी0डी0 पर्चे के रूप में दिनांक 12.06.2017 को दिखाया गया था, उसे भर्ती नहीं किया गया था। डॉ0 अवधेश कुमार यादव ने केवल ओ0पी0डी0 के रूप में चोटहिल रामगनेश का एक दिन का दवा इलाज करने के बाद उसे भर्ती करने का कोई अंकन डॉक्टरी पर्चें पर नहीं किया है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 40ब से कागज सं0 41व उप कुलसचिव जन सूचना अधिकारी किंग जार्ज विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र एवं विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जनी विभाग किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली एवं संलग्न अभिलेखीय प्रपत्रों का परिशीलन किया।

वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 11.06.2017 को समय करीब 11 बजे दिन में आबादी की जमीन की रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी के पति रामगनेश को लोहे की राड से सिर पर मारा, जिससे उसके पति को गंभीर चोटें आयी। उक्त मामले के विवेचक द्वारा दौरान विवेचना चोटहिल रामगनेश का किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के न्यूरो सर्जरी विभाग का चिकित्सीय प्रपत्र बतौर साक्ष्य संकलित नहीं किया गया, जबकि केस डायरी में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख

किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किया गया है, जिसे न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉ0 अवधेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 12.06.2017 को तैयार किया गया है तथा डॉ0 अवधेश कुमार यादव को साक्ष्य हेतु आहूत किये जाने की याचना की गई है, जिससे मामले का गुण–दोष के आधार पर न्याय–निर्णयन हो सके। जबकि प्रतिरक्षा पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का कथन है कि पत्रावली में सम्पूर्ण साक्ष्य सम्पन्न हो चुका है। मामले को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के मुकदमा अपराध से संबंधित एक पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड अम्बेडकर नगर में विचाराधीन है जिसमें साक्षी डॉ0 अवधेश कुमार यादव को साक्ष्य हेतु आहूत किया गया है एवं पत्रावली पर न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉ0 अवधेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 12.06.2017 को तैयार किया गया चिकित्सीय प्रपत्र संलग्न किया गया है जिससे यह दर्शित है कि रामगनेश का इलाज उक्त चिकित्सक द्वारा किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, मामले का गुण–दोष के आधार पर न्याय–निर्णयन के लिये उक्त साक्षी डॉ0 अवधेश कुमार यादव तत्कालीन विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जनी विभाग किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को साक्ष्य हेतु आहूत किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः प्रार्थना पत्र कागज सं0 40ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 40ब अंतर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वह साक्षी डॉ0 अवधेश कुमार यादव तत्कालीन विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जनी विभाग किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को साक्ष्य हेतु आहूत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 25.07.2024 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अम्बेडकर नगर
06.07.2024

Digitally signed by JAYA PATHAK
Date: 2024.07.06 15:10:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court